

लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

सु नं०:- 21 / 2020

तारीखरजू:- 20/2/2020


उनवान:- भंवरसिंह बनाम पूरण सिंह

दावा वावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
02.02.20	वादी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 26.03.2020 को पेश हो।	813-27 20-2-20
26.3.20	वादी की ओर से कार्य स्वयंसेवक ए. पी. व. साहू द्वारा पेश की गई रिपोर्ट सम्मन दिनांक 30.4.20 को पेश हो।	
10.9.20	भाक डाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई वादी वकील उपर। प्रतिवादी नं. 15 का बचत सूचना उपस्थित नहीं है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से श्री राधाराम शर्मा नि.व. ने कालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन काद नामील कापिस प्राप्त नहीं हुए है वादी वकील प्रतिवादी नं. 1 व 2 के सम्मन तलबाना पेश कर तलबी करीव/ कोले तलबी व जबाब दिनांक 8.10.20 को पेश हो।	
3.10.20	वकूलाय उपर। गतानुसार तलबी करीव व जबाब पेश करने दिनांक 25.10.20 को पेश हो।	
28.10.20	वकूलाय उपर। तलबी करीव व जबाब पेश करने दिनांक 26.11.20 को पेश हो।	
26.11.20	वकील वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी, उद्धार, सा.स. नि. व. प.स. को पेश हो।	

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
7-1-21	<p>वकील उमप्रयस उपस्थित वादी वकील ने अपनी पत्र प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। मुकदमा को प्रोसेज करना नहीं चाहते हैं इसलिए मुकदमे को खारिज कर दिया जावे। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली के सलशुगर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होगा।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली </p>